न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं.86/2022

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण –
एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए घुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001		1. प्रकाश चन्द सोनी पुत्र धनराज सोनी पता बायतु भोपजी स्टेशन, बायतु भोपजी जिला बाड़मेर 2. चेतना पत्नी प्रकाश चन्द पता बायतु भोपजी स्टेशन, बायतु भोपजी जिला बाड़मेर 3. दिलीप पुत्र चम्पालाल पता रामसिन सोनारों का बास बिठूज़ा बालोतरा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 29.06.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्राथीगण प्रकश चन्द सोनी व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण प्रकश च[illegible] व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्र[illegible] 4,70,000/– रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी(गण) ने प्रार्थी बैंक द्वारा [illegible] ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थी(गण) सं. 1 से 3 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में सम्पत्ति यथा प्रकाश चन्द सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति अवस्थित ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 46 मिसल संख्या 45/10–11 ग्राम पंचायत बायतू भोपजी पं.स. बायतू जिला बाड़मेर बनाप 756 वर्गफीट को प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 06.08.2016 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थी(गण) द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.01.2022 तक बकाया शेष रूपये 3,60,599/– भुगतान नहीं करने पर अप्रार्थी(गण) का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी(गण) के नाम से पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी(गण) के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व में है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे में लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थी(गण) को राशि रूपये 4,70,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थी(गण) बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थी(गण) से दिनांक 13.01.2022 तक कुल 3,60,599/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थी(गण) को पंजीकृत पावती डाक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन करवाया जाकर समुचित रूप से संसूचित [illegible] जा चुका है। *सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक 2007 [illegible] केस. 604 (कर्नाटक)* के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested

14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) को नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थी(गण) को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी(गण) द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी(गण) 1 से 3 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त सम्पत्ति "प्रकाश चन्द सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति अवस्थित ग्राम पंचायत पट्टा संख्या 46 मिसल संख्या 45/10–11 ग्राम पंचायत बायतू भोपजी पं.स. बायतू जिला बाड़मेर बनाप 756 वर्गफीट" का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:18:52 IST
Reason: SelfAttested